न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 63/2023

अपीलांट–
धीरूलाल पुत्र सालुराम जाति कुम्हार निवासी गोपड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1 प्रभुराम पुत्र सालुराम
2 मूलाराम पुत्र सालुराम
3 नारायण पुत्र सालुराम जातियान कुम्हार, निवासीयान गोपड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
4 तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/कैम्प गोपड़ी/ 2021/13 दिनांक 28.10.2021 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री छत्रकरण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.02.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक राजस्व/कैम्प गोपड़ी/ 2021/13 दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 250 रकबा 0–01 बीघा, खसरा सं. 251 रकबा 43–10 बीघा, खसरा संख्या 260 रकबा 6–13 बीघा, खसरा सं. 412/230 रकबा 18–12 बीघा, खसरा सं. 423/257 रकबा 5–06 बीघा, कुल खसरा 05 रकबा 74–02 बीघा अवस्थित है। जो कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 01. से 03 की सयुक्त खातेदारी मालिकाना की भूमि रही है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का वाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बालोतरा

अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/कैम्प गोपड़ी/2021/13 दिनांक 28.10.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं रही, किन्तु हाल ही में दिनांक 10.08.2023 को अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई, जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं. 01 ता 03 को आपसी सहमति से रेकर्ड में हुए गलत बंटवाडे को दुरस्त कराने हेतु निवेदन किया, तो एक बार तो रेस्पोडेंटगण मान गये, किन्तु उसके बाद पुनः रेस्पोडेंट सं 01 ता 03 सहमति से रेकर्ड दुरस्त कराने से आनाकानी करने लगे, और सहमति से बंटवाडा निरस्त कराने से साफ इंकार कर दिया, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा बिना देरी किये अन्दरम्याद वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रहा है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश में जहां अपीलांट का कब्जा है, उस भूमि को गलत तरीके से रेस्पोडेंट सं 01 के कब्जे में दर्शा दिया, तथा मौके पर आवागमन का रास्ता भी अन्य जगह पर स्थित है, किन्तु उसके उपरांत भी गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत अपीलांट की भूमि के मध्य से गुजरता हुआ दर्शा दिया, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अनवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना एवं मौजिज लोगों की समझाईश से राजीनामा हो गया है, रेस्पोडेंटगण आपसी सहमती से प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषण (रिमाण्ड) करने हेतु सहमत है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः करने हेतु अधिवक्ता अपीलांट ने माफिक अनुतोष अपील स्वीकार कर रिमाण्ड हेतु निवेदन किया है।

6. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार पचदरा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक राजस्व/कैम्प गोपड़ी/2021/13 दिनांक 28.10.2021 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित आदेश

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बालोतरा

प्रत्यासत, गलत, अशुद्ध एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर एवं मौके की वस्तुस्थिति से नितान्त भिन्न एवं विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने वादग्रस्त खेत बाबत राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं विधि के द्वारा स्थापित सिंद्धातों का मनमानी तौर पर भारी अतिलघंन कर बिना मौके से कब्जा काश्त व आवागमन की मौका रिपोर्ट मंगवाये, बिना राजस्व रेकर्ड का सही तरीके से अवलोकन किये बंटवाड़ा करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जाच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7- अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप न्यायहित में प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषण (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पुनः सभी पक्षकारान की तहसीलदार पचपदरा के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति उपरांत सहमति होने की स्थिति में पूर्व में क्रमांक राजस्व/कैम्प गोपडी/2021/13 दिनांक 28.10.2021 निरस्त कर नवीन विभाजन सहमति अनुसार कार्यवाही कर फैसल करे।

8- निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बालोतरा